



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्र.1/वि.अ./संस्था/चार्ज/2023-17958/पार्ट 2/

जयपुर, दिनांक

1. जिला कलक्टर, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, समस्त।
3. विकास अधिकारी  
पंचायत समिति, समस्त।

—:परिपत्र:—

विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों/परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुये विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार **निम्नानुसार वरियताक्रम में दिये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है:-**

1. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित पंचायती राज विभाग के नियमित सहायक अभियंता।
2. पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त विकास अधिकारी।

उपरोक्त के अलावा प्रशासनिक रूप से उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा निकटतम पंचायत समिति में कार्यरत नियमित विकास अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने का निर्णय जिला कलक्टर के स्तर से लिया जा सकता है।

पंचायत समिति की निधि से संदाय के लिये सभी आदेश एवं चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)परावि/आ.वि.अ./वि.अ./2010/993 दिनांक 03.05.2010 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित की जावे।

उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव एवं आयुक्त